निग० 5529/2018/सतना/भू०रा०

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

कोर्ट फी 20रु. TWENTY RUPEES / कोर्ट फी 5रु. FIVE RUPEES / कोर्ट फी 5रु. FIVE RUPEES — विलोपित

अधि० श्री जसराम विश्वकर्मा द्वारा पेश। 12-9-18

संत प्रताप सिंह तनय श्री वासुदेव सिंह साकिन नागौद जिला सतना म०प्र०

...... निगराकार

बनाम

शासन म०प्र० द्वारा पटवारी हल्का नागौद जिला सतना म०प्र०

..... गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म०प्र० के राजस्व प्रकरण क्रमांक 582/अपील/17-18 आदेश दिनांक 04.08.2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है

संक्षिप्त तथ्य :- यह कि हल्का पटवारी द्वारा एक फर्जी एवं नुमाइशी प्रकरण तैयार करके अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा निगराकार को नोटिस जारी किया गया, निगराकार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर नोटिस का विधिवत जबाव पेश किया तथा दस्तावेज पेश किए गए। आराजी नं. 119 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा आबादी भूमि का विवादित जुज अंश आबादी भू भाग निगराकार ने सरजू प्रसाद नामदेव से खरीदा था विवादित भू भाग का भूमि स्वामी निगराकार है, जिस पर निगाराकार ने 30 वर्ष पूर्व बाउन्ड्री वाल का निर्माण स्वयं की पूंजी से कराया था, और शान्ति पूर्वक काबिज

क्र...

जसराम विश्वकर्मा द्वारा प्रस्तुत 12/9/2018

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0–5592/2018/सतना/भू–रा0 जिला–सतना

संतप्रताप सिंह/ म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री जसराम विश्वकर्मा चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 682/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 12.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	